न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/41/2022	2022/111	07–12–2022	11–07–2024

1–जहानु उर्फ जहान मौहम्मद पुत्र चन्दू जाति मेव निवासी नांगल टप्पा तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
2–मोहम्मदी पत्नि जयमाल,
3–रूजदार,
4–अब्बास,
5–फयास पुत्रान जयमल,
6–फातमा,
7–जरीना,
8–हारूनी पुत्रीयान जयमल,
9–सहुरी पत्नि जस्सू,
10–इलियास,
11–इमरान पुत्रान जस्सू,
12–रिहाना,
13–सरमीना पुत्रीयान जस्सू,
14–जल्लू पुत्र चन्दू जातियान मेव निवासीयान ग्राम नांगलटप्पा तहसील रामगढ जिला अलवर राज।

–अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार, रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

– असल रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व तहसीलदार रामगढ इंतकाल सं0 554 दिनांक 10.12.2018 ग्राम नांगलटप्पा ।

उपस्थितः–

1.श्री महादेव प्रसाद जागिड। –वकील अपीलान्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 10.12.2018 इंतकाल संख्या 554 वाके ग्राम नांगलटप्पा तहसील रामगढ जिला अलवर स्वीकार किये जाने है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के आराजी खसरा नं0 884 रकबा 0.08 है, 885 रकबा 0.13 है, 886 रकबा 0.22 है, 887 रकबा 0.42 है, 888 रकबा 0.14 है, 889 रकबा 0.12 है, 890 रकबा 0.19 कुल किता 7 कुल रकबा 1.30 है, खाता संख्या 99 व इसी प्रकार खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 510 रकबा 0.08 है, 511 रकबा 0.08 है, 527 रकबा 0.20 है, 528 रकबा 0.23 है, कुल किता 4 कुल रकबा 0.59 है, व इसी प्रकार खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 115 रकबा 0.23 है, 119 रकबा 0.26 है, 258 रकबा 0.16 है, 259 रकबा 0.18 है, 260 रकबा 0.18 है, कुल किता 5 कुल रकबा 1.01 है, व इसी प्रकार खाता संख्या 102 खसरा नम्बर 547 रकबा 0.35 है, 548 रकबा 0.14 है, 549 रकबा 0.25 है, 834 रकबा 0.01 है, 835 रकबा 0.40 है, 836 रकबा 0.34 है, कुल किता 6 कुल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रकबा 1.49 है, वाके ग्राम नांगल टप्पा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है। जिस आराजीयात में अपीलान्ट का जमाबन्दीनुसार हक व हिस्सा कायम चला आ रहा है। जिसमें अपीलान्ट के साथ अपीलान्ट की बहनों बसीरों, जस्सी, जैनबी, पुत्रीयान चन्दू का भी हक व हिस्सा था। उक्त आराजीयात का हक परित्याग जैनबी बसीरी व जस्सी ने अपने–अपने शामिल हिस्से को जमाबन्दीनुसार उपरोक्त अपीलान्ट व उनके पिता जयमल व जस्सू के नाम हकपरित्याग दिनांक 11.07.2018 को रजिस्टर्ड कर दिया गया था। जिसका रजिस्टैशन संख्या 201803125102450 है जो उप पंजीयक महोदय रामगढ अलवर के यहां से तस्दीक शुदा है। जिस हकपरित्याग के आधार पर मिन अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम का इन्तकाल खुलवाये जाने हेतु रेस्पोडेट के यहां एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसको रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार करते हुये पटवारी हल्का के पास इन्ताकाल दर्ज किये जाने हेतु भिजवाया जिस पर पटवारी हल्का ने नियमानुसार जांच पडताल करते हुये दिनांक 17.07.2018 इन्तकाल संख्या 554 को कानूनगो के समक्ष पेश किया जिसमें कानूगों द्वारा मिलान किये जाने के बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 10.12.2018 को रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया जिन्होने बिना किसी जांच किये व बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक 10.12.2018 को इन्तकाल को निरस्त फरमा दिया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का के पास जाकर जामाबन्दी आदि की नक्ले दिनांक 16.11.2022 को मांगी तो उन्होने कहा की आपका इन्तकाल पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है, जिस पर मिन अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में जानकारी करके नकल के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया और दिनांक 28.11.2022 को ही नकल प्राप्त की तथा तारीख जानकारी से अपील बिना देरी से अन्दर अवधि पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह इन्तकाल दर्ज नही होने की जानकारी के कारण हुई है। जो कि नेक नियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में गुजरा दिए जाने योग्य है, जिस हेतु प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद कानून अधि0 अलग से पेश है। पटवारी हल्का पाली द्वारा तहत अदालत में अपीलान्ट के इन्तकाल दर्ज कर रिपोर्ट पेश की गई है, जिसको रेस्पोडेन्ट तहसीलदार साहब रामगढ अलवर द्वारा स्वीकार नही किया और बिना किसी उचित व युक्तियुक्त कारण के इन्तकाल संख्या 554 को खारिज फरमा दिया गया जिसमें सर्व प्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल दर्ज किये जाने हेतु अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर पटवारी हल्का के पास भिजवाया, जब पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार इन्तकाल खोलने के बाद उसको तस्दीक किये जाने हेतु वापिस रेस्पोडेन्ट के पास भिजवाया तो रेस्पोडेन्ट बिना अपीलान्ट को सुने व विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी उचित कारण के खारिज फरमा दिया गया कि जिस इन्तकाल के खारिज किये जाने के निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जो कि निम्न आधारो पर स्वीकार होने तथा आलोच्य इन्तकाल खारिज निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट को उनकी बहनो बसीरी, जैनबी व जस्सी द्वारा जमाबन्दीनुसार अपने–अपने हिस्से को नियमानुसार रजिस्टर्ड हकपरित्याग दिनांक 11.07.2018 को किया है जो अपीलान्ट संख्या 1 व अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 8 के पति व पिता जसमाल व इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 9 लगायत 13 के पति व पिता जस्सू व अपीलान्ट संख्या 14 के हक के हक में किया गया है। जिस हकपरित्याग को उप पंजीयक महोदय रामगढ अलवर द्वारा तस्दीक किया जाकर पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 695 में पृष्ट संख्या 164 क्रम संख्या 201803125102450 पर पंजीबद्व किया हुआ है। जिससे भी अपीलान्ट उक्त आराजीयात के हक परित्याग के आधार पर अपना इन्तकाल खुलवाने के अधिकारी है। फिर भी अपीलान्ट को विधि विरूद्ध तरीके से बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई के अवसर दिए दिनांक 10.12.2018 को इन्तकाल खारिज का आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। और इन्तकाल को खारिज किये जाने की तहत अदालत रेस्पोडेन्ट ने अहम भूल की है। उक्त हकपरित्याग किये जाने के बाद जसमाल व जस्सू का देहान्त हो गया है, और जिनके वारिसान अपलान्ट 2 लगायत 8 वारिसान जसमाल है व इसी प्रकार जस्सू के वारिसान अपीलान्ट 9 लगायत 13 है। और इस प्रकार उक्त सभी अपीलान्ट उक्त हकपरित्याग के आधार पर अपने नाम व वारिसान होने के कारण से इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अमल कराने के अधिकारी है। अपीलान्ट द्वारा उक्त हकपरित्याग के आधार पर ही इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में खुलवाये जाने हेतु तहत अदालत तहसीलदार साहब रामगढ अलवर के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे पहले स्वीकार किया और पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर उसको तस्दीक किये जाने हेतु पुनः तहत अदालत में प्रस्तुत किये जाने पर तहत अदालत ने उक्त इन्तकाल संख्या 554 को अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना ही आलोच्य इन्तकाल खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वांतो के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को न तो जवाब का अवसर दिया ना ही पटवारी हल्का से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जिरह हेतु अवसर दिया गया जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो की अवहेलना हुई है जिससे भी तहत अदालत का इन्तकाल खारिज किये जाने का उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। तहत आदालत ने आलोच्य इन्तकाल खारिज का निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट का हकपरित्याग पर गौर किया और ना ही कोई जांच की गई, गलत प्रकार से विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल खारिज किये जाने का आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो निरस्त होने योग्य है। अपील पेश कर निवेदन है, कि अपीला अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल खारिज किये जाने का आलोच्य दिनांक 10.12.2018 तहसीलदार साहब रामगढ अलवर इन्तकाल संख्या 554 दिनांक 10.12.2018 के निर्णय को अपास्त फरमाने की कृपा करे। व अपीलान्ट के हक में उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में हकपरित्याग के आधार पर इन्तकाल खुलवाये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2018 के विरूद्व दिनांक 05.12.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 04 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड हक परित्याग का अवलोकन किया गया जो अपीलान्ट की बहनों बशीरी, जस्सी, जैनबी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1, रेस्पो0 सं0 2 लगा0 8 के पति व पिता रेस्पो0 9 लगायत 13 के पिता व रेस्पो0 नं0 14 के नाम किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग पर गौर नहीं किया गया और विचाराधीन नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील अपीलान्ट की बहस, अपील में वर्णित कथनों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 05.12.2018 इंतकाल संख्या 554 वाके ग्राम नांगलटप्पा तह0 रामगढ़ निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि अपीलान्ट के दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)